संख्या-145/2017/आर-325रिट/26-3-2017-10(23)/2016टी.सी.

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 11 सितम्बर 2017

विषयः- सिविल मिस रिट याचिका संख्या-41676/2016 यशपाल सिंह बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-11.09.2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण, उ0प्र0लखनऊ के पत्रांक-1295/स.क./विकास/कोचिंग-कोर्ट/2017-18 दिनांक-11.09.2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त उक्त याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-11.09.2017 के अनुपालन में याची संस्था को वर्ष 2014-15 की देयता से सम्बन्धित धनराशि रूपया-5,71,000/-को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-83 की सुसंगत लेखाशीर्षक में सम्बन्धित योजनान्तर्गत निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0लखनऊ के पत्रांक-सी1574/43/स.क./लेखा बजट/परीक्षापूर्व प्रशिक्षण केन्द्र/2017-18, दिनांक-11.09.2017 द्वारा जनपदों को उक्त मद में आवंटित धनराशि से याची संस्था को भुगतान की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि प्रकरण में प्रचलित जाँच कार्यवाही में दोषी पाये जाने वाले अधिकारियो से उक्त धनराशि की वसूली अनुपातिक रूप से की जायेगी।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ0 संख्या-145/2017/आर-325रिट(1)/26-3-2017 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य स्थाई अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
4. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, आगरा।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. उपनिदेशक, समाज कल्याण, आगरा मण्डल, आगरा।
7. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास, आगरा को इस निर्देश के साथ कि याची संस्था की उपरोक्त देयता का उक्त आवंटन से शीघ्र भुगतान कराकर अवगत कराना सुनिश्चित करें।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1(दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in